

Gratuity Computation, Claim (Form I) & Dispute

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

उपदान भुगतान अधिनियम (Payment of Gratuity Act) के अंतर्गत देय ग्रेच्युटी की गणना, नियोक्ता को Form I दावा, और — जहाँ नियोक्ता रोके, विलंब करे या कम दे — नियंत्रक प्राधिकारी (Controlling Authority) को विवाद-आवेदन, ब्याज व आधार सहित, यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

ग्रेच्युटी गणना ($15/26 \times$ अंतिम वेतन $\times$ पूर्ण वर्ष, वैधानिक सीमा व नियम सहित), Form I दावा व विवाद-आवेदन तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ग्रेच्युटी गणना व तैयार Form I का उपयोग नियोक्ता से दावा करने, और रोके/विलंबित/कम-भुगतान पर नियंत्रक प्राधिकारी को ब्याज व आधार सहित आवेदन दाखिल करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

नियोक्ता (Form I दावा); विवाद पर, उपदान भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

Form I नियोक्ता पर निर्धारित समय में तामील करें, और अ-भुगतान/कम-भुगतान पर नियंत्रक प्राधिकारी को गणना, विलंब-ब्याज व साक्ष्य सहित आवेदन दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

Form I दावे हेतु पेशेवर आवश्यक नहीं; नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष विवादित जब्ती या बड़े विवाद हेतु श्रम वकील उपयुक्त।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

ग्रेच्युटी पाँच वर्ष बाद देय (4-वर्ष-प्लस-240-दिन नियम सहित), विलंबित भुगतान पर साधारण ब्याज, और जब्ती केवल सीमित परिस्थितियों में; वैधानिक सीमा राशि को सीमित करती है। यह मसौदा-सहायता है।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।